एकीकृत विकेन्द्रीकृत आयोजना के तहत वार्षिक जिला योजना 2013–14 के निर्माण हेतु जारी दिशा–निर्देशों सम्बन्धी अनुक्रमाणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	दिशा–निर्देश पत्र क्रमांक 183 दिनांक 8.3.2013	1–3
2.	जनवरी 2013 में वार्ड/ग्राम सभायें आयोजित कराने सम्बन्धी दिशा–निर्देश/प्रपत्र	4–8
3.	जिला स्तरीय प्रोफाईल सम्बन्धी प्रपत्र	9–16
4.	पंचायत समिति स्तरीय प्रोफाईल सम्बन्धी प्रपत्र	17–24
5.	ग्राम पंचायत स्तरीय प्रोफाईल सम्बन्धी प्रपत्र	25–31
6.	इकजाई कुल वार्षिक जिला योजना 2013–14 की कुल (TOTAL) इकजाई आयोजना राशि	32–40
7.	वार्षिक जिला योजना 2013–14 की जन जाति (TSP) उपयोजना की आयोजना राशि	41–47
8.	वार्षिक जिला योजना 2013–14 की अनुसूचित जन जाति (SCSP) उपयोजना की आयोजना राशि	48–54
9.	वार्षिक जिला योजना 2013–14 की जिलेवार विभागवार/योजनावार आयोजना राशि	55–121

नोटः विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाईट www.rajpanchayat.gov.in पर उपलब्ध है।

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(आयोजना प्रकोष्ठ)

दूरभाष नं. 0141–2385027, 2227847, ई–मेलः rajpr_dsplan@rediffmail.com
website : www.rajpanchayat.gov.in

क्रमांक एफ.4( )परावि/आप्र./जियो./2013–14/183 जयपुर, दिनांकः 08.03.2013

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद – समस्त।

विषयः– बारहवीं पंचवर्षीय जिला योजना (2012–17) के तहत वार्षिक जिला योजना 2013–14 का निर्माण करने बाबत।
संदर्भः– विभागीय समसंख्यक पत्रांक 904 दिनांक 11.12..2012।

योजना आयोग, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जिला योजनाओं पर आधारित राज्य की वार्षिक योजना को ही आयोग द्वारा स्वीकार किया जाता है। इस परिपेक्ष्य में राज्य में 12वीं पंचवर्षीय जिला योजना 2012–17 के तहत वार्षिक जिला योजना 2013–14 का निर्माण एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत ग्राम/वार्ड सभाओं के माध्यम से प्राप्त विकास कार्यो को सम्मिलित करते हुए किया जाना हैं। विभागीय संदर्भित पत्र द्वारा वार्षिक जिला योजना 2013–14 में सम्मिलित किये जाने हेतु विकास कार्यो/गतिविधियों से सम्बन्धित प्रस्ताव माह जनवरी, 2013 में प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान आयोजित वार्ड़/ग्राम सभाओं में प्राप्त/अनुमोदित कराये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश/प्रपत्र आपको पूर्व में उपलब्ध करवाये जा चुके हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 एवं सहस्त्राब्दी लक्ष्यों को दृष्टिगत रखतें हुए जिला योजनाओं के निर्माण हेतु राज्य स्तर से जिला स्तरीय, पंचायत समिति स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय प्रोफोइल से सम्बन्धित नवीन प्रपत्रों का निर्धारण किया गया है। उक्त प्रपत्रों के अनुरूप ही **12वीं पंचवर्षीय जिला योजना (2012–17) के तहत वार्षिक जिला योजना 2013–14** का निर्माण किया जाना है। विगत वार्षिक जिला योजना के अनुरूप ही जिले की समावेशी वार्षिक जिला योजना विभिन्न सेक्टर/विभागों की योजनाओं के लिये प्राप्त प्रस्तावों को सम्मिलित कर तैयार की जावेगी। इसके साथ–साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित सभी योजनाओं/कार्यक्रमों के विरूद्व उक्त जिला योजना में प्रस्तावित किये गये कार्यो को समाविष्ट करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिये एक पृथक जिला योजना का प्रारूप भी तैयार किया जावेगा।

आयोजना विभाग द्वारा वार्षिक जिला योजना 2013–14 के सम्बन्धित सेक्टरों (राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम को सम्मिलित करते हुए) के लिये आवंटित आयोजना राशि का राज्य स्तर पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के सहयोग से जिलेवार आवंटन किया जा चुका है। वार्षिक जिला योजनाओं के निर्माण हेतु संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व में जारी दिशा–निर्देश/प्रपत्र, जिला स्तरीय, पंचायत समिति स्तरीय, ग्राम स्तरीय प्रोफाइलों से संबंधित नवीन प्रपत्र एवं जिलेवार/विभागवार आयोजना राशि के आवंटन का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाईट www.rajpanchyat.gov.in पर उपलब्ध है। जिला योजनाओं से संबंधित विभागों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1.	कृषि विभाग	2.	होर्टीकल्चर (उद्यान) विभाग
3.	भू–संरक्षण विभाग	4.	पशुपालन विभाग एवं मत्स्य विभाग
5.	ऊर्जा विभाग	6.	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग

12वीं पं.व.जि. योजना 2012–17 के तहत वा. जि. योजना 2013–14 की जिलेवार /विभागवार आवंटित सीलिंग का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाईट www.rajpanchayat.gov.in पर उपलब्ध है।

7.	शिक्षा – प्रारम्भिक शिक्षा, साक्षरता, संस्कृत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, क्राफ्टमैन शिक्षा	8.	चिकित्सा – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, एन.आर.एच.एम., आर.एम.एस.सी. (निःशुल्क दवाई वितरण योजना)
9.	ग्रामीण विकास विभाग एव पंचायती राज	10.	उद्योग विभाग
11.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	12.	महिला एवं बाल विकास विभाग
13.	स्वायत्त शासन विभाग	14.	वन विभाग
15.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	16.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
17.	पर्यटन विभाग	18	जनजाति क्षेत्रीय विकास
19	भू–जल विभाग	20	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.)

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए मुख्य चुनौतियां जल की उपलब्धता एवं मांग में बढ़ता हुआ असंतुलन, बिखरी, अनिश्चित एवं विचलन युक्त वर्षा से कृषि एवं अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव, जल एवं भूमि की गुणवत्ता में गिरावट, कम मूल्य वाली खेती, आधारभूत संरचना का अभाव, उद्योग विकास की धीमी गति एवं पर्याप्त रोजगार अवसरों का अभाव, खनन संसाधनों का अपूर्ण दोहन, शैक्षिक पिछड़ापन (गुणात्मक व परिमाणात्मक), असंतुलित एवं विसंगति पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं (प्रतिरोधात्मक एवं उपचारात्मक), अनियोजित शहरीकरण, महिलाओं, बालिकाओं एवं कमजोर वर्गो विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यकों के साथ भेद–भाव एवं कमजोर सेवा प्रदाय प्रणाली, महिला लिंगानुपात (Female Sex Ratio) में गिरावट इत्यादि है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य इन चुनौतीयों का सामना करना, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में प्रति–वर्ष 8 से 9 प्रतिशत की वृद्धि एवं Milenium Development Goal को प्राप्त किया जाना हैं।

12वी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण के तहत योजना आयोग, भारत सरकार से विगत पंचवर्षीय योजना निर्माण के लिए प्राप्त दिशा निर्देशों/निर्धारित प्रक्रियानुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक जिला योजना 2013–14 का निर्माण स्थानीय व्यक्तियों/जन प्रतिनिधियों की भागीदारी, स्थानीय आवश्यकताओं एवं जिले में उपलब्ध वित्तीय स्त्रोतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।

ग्राम सभा/वार्ड़ सभा द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के हितार्थ विकास कार्यों को कम से कम इन वर्गो की जनसंख्या के अनुपात में आवश्यक रूप से सम्मिलित कर इन वर्गो के लिए पृथक–पृथक उप योजनाऐं तैयार की जावेंगी।

विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4 ( )परावि/जिला आयोजना/बजट/2012–13/878 दिनांक 03.12.2012 के द्वारा प्रत्येक जिले की 1 ग्राम पंचायत की मॉडल पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना का प्रारूप तैयार किये जाने हेतु विषय विशेषज्ञों की सेवाएं आउटसोर्सिंग से लिये जाने हेतु प्रत्येक जिले को 25 हजार रूपये उपलब्ध करवायें गये है, तदानुसार प्रत्येक जिले की 1 ग्राम पंचायत की मॉडल ग्राम पंचायत योजनाएं तैयार की जावेंगी।

सैक्टोरल विभागों की ऐसी योजनाऐं जिनकी आवंटित जिलेवार सीलिंग एवं भौतिक लक्ष्यों को पंचायत समितिवार निर्धारण किया जाना संभव नही है, उनसे संबंधित कार्यो को संबधित विभागों के जिला अधिकारियों से चर्चा कर सम्मिलित किया जावे।

केन्द्र/राज्य की ऐसी योजनाओं में जिनमें ग्राम पंचायतों के साथ–साथ जिला परिषद/पंचायत समिति स्तरीय कार्यों को कराये जाने के लिए राशि उपलब्ध करवायी जा रही हैं तथा विभिन्न सेक्टरों में जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर वृहत एवं दीर्घकालीन अवधि के कार्य करवाये जाने हैं, ऐसे विकास कार्यो को योजनाओं में आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जावे।

ग्राम पंचायत की चाहत सूची (Wish list) में शेष रहे कार्यो को करवाये जाने हेतु संबंधित विधायक से चर्चा व अनुमोदन प्राप्त कर वर्ष के दौरान एम.एल.ए. लेड योजना में उपलब्ध राशि को व्यय किये जाने की कार्य योजना को जिला योजनाओं में सम्मिलित किया जावे।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जिला योजनाओं की मॉनीटरिंग प्लान–प्लस सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जानी है, अतः वार्ड/ग्राम सभाओं के दौरान प्राप्त किये गये प्रस्तावों को इस विभाग द्वारा जारी संदर्भित पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार सभी सेक्टर विभागों के कार्यो को पृथक–पृथक सेक्टर/विभागवार संकलित कर प्लान–प्लस सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाये।

"बारहवीं पंचवर्षीय जिला योजना (2012–17) के तहत वार्षिक जिला योजना 2013–14" को जिला आयोजना समिति से अनुमोदानुपरान्त दिनांक 15.04.2013 तक प्लान प्लस सॉफ्टवेयर में दर्ज करवाकर हार्ड व सॉफ्ट प्रति पंचायती राज विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि जिला योजनाओं को राज्य स्तर पर संकलित कर आयोजना विभाग को नियत समयावधि में भिजवाया जा सके।

(अपर्णा अरोरा)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष.....
.....विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि जिले की बारहवीं पंचवर्षीय जिला योजना (2012–17) के तहत वार्षिक जिला योजना 2013–14 के निर्माण के क्रम में वार्ड/ग्राम सभाओं के माध्यम से प्राप्त/अनुमोदन पश्चात ग्राम पंचायत स्तर पर संकलित चाहत सूची (Wish list) में से अपने विभाग से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत कराये जाने वाले विकास कार्य/गतिविधियों को चिन्हित कर निर्धारित प्रपत्रों अनुसार ग्राम पंचायत/पंचायत समिति स्तरीय योजनाओं में सम्मिलित करवाने, ग्राम पंचायत/पंचायत समिति स्तरीय प्रोफाइलों में अपने विभाग से संबंधित लक्ष्यों तथा संमकों से संबंधित आधारभूत जानकारी उपलब्ध करवाकर इन योजनाओं को तैयार किये जाने में वांछित सहयोग प्रदान किये जाने के लिए ग्राम पंचायत/पंचायत समिति अधिकारियों को निर्देश प्रदान करावें। जिला स्तर पर जिला योजनाओं में सम्मिलित किये जाने हेतु अपने विभाग से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं से संबंधित सभी योजनाओं/गतिविधियों की जिलेवार आवंटित सीलिंग एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित कर जिला स्तरीय अधिकारियों को उपलब्ध करवाकर जिला योजनाओं के निर्माण एवं जिला स्तर पर प्लान प्लस में दर्ज करवाने हेतु मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला परिषद को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिये वांछित निर्देश प्रदान करावें।
2. निदेशक, राज आयोजना बोर्ड़, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर – समस्त को भेजकर लेख है कि जिले की 12वीं पंचवर्षीय जिला योजना (2012–17) के तहत वार्षिक योजना 2013–14 के निर्माण में सम्बन्धित मुख्य आयोजना अधिकारी को समुचित मार्गदर्शन/सहयोग उपलब्ध करवाने के साथ ही जिला स्तर पर गठित जिला आयोजना समन्वय उप समिति एवं जिला आयोजना समिति की बैठकों का आयोजन कराते हुए 12वीं पंचवर्षीय जिला योजना (2012–17) के तहत वार्षिक जिला योजना 2013–14 का प्रारूप शीघ्र तैयार करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।
4. मुख्य आयोजना अधिकारी आयोजना प्रकोष्ठ, जिला परिषद समस्त को प्रेषित कर लेख है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के निर्देशानुसार बाहरवीं पंचवर्षीय जिला योजना (2012–17) एवं वार्षिक जिला योजना 2013–14 के निर्माण के लिए योजना निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक सहयोग एवं आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

शासन सचिव एवं आयुक्त

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)
दूरभाष नं. 0141–2385027, ई–मेलः rajpr_dsplan@rediffmail.com

क्रमांकः एफ.4( )परावि/आप्र/वा.जि.यो. /2013–14/904 जयपुर, दिनांकः 11/12/2012

जिला कलक्टर,
जिला –समस्त।

विषयः एकीकृत विक्रेन्द्रीकृत आयोजना के तहत जिला वार्षिक योजनाओं के निर्माण हेतु जनवरी, 2013 में वार्ड/ग्राम सभाऐं आयोजित कराने बाबत।

योजना आयोग, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य की पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं का निर्माण जिला योजनाओं को समाविष्ट करते हुए किया जा रहा है। राज्य में 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना का निर्माण विकेन्द्रीकृत आयोजना के तहत एक विस्तृत कार्य योजनान्तर्गत करवाया गया था। राज्य में 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 एवं वार्षिक जिला योजना 2012–13 में प्रस्तावित किये जाने वाले विकास कार्यो के प्रस्ताव वार्ड/ग्राम सभाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु विभागीय समसंख्यक पत्रांक 03 दिनांक 03.01.2012 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये थे परन्तु अधिकांश जिलों के स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित रही।

विकेन्द्रीकृत आयोजना के तहत जिला योजनाओं में, स्थानीय आवश्यकताओं को स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं आम जनता के सहयोग से चिन्हित करते हुए विकास कार्यों के प्रस्ताव सम्मिलित किये जाते है। अतः वार्षिक जिला योजना 2013–14 के निर्माण हेतु उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम चरण में वार्ड सभाओं/ग्राम सभाओं के माध्यम से विकास कार्यो के प्रस्ताव प्राप्त किये जाने आवश्यक है।

इस क्रम में लेख है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं अन्य विभागों से संबंधित ऐसी योजनाऐं/कार्यक्रम जिनका क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है से सम्बन्धित विकास कार्यो के प्रस्ताव माह जनवरी–2013 में प्रस्तावित "प्रशासन गाँवों के संग अभियान" के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड/ग्राम सभाओं में प्राप्त/अनुमोदित करवाकर इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों में संकलित करने की कार्यवाही करावें। इन संकलित प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित योजनाओं की एक पृथक जिला योजना के निर्माण एवं जिले की सम्पूर्ण वार्षिक जिला योजना के निर्माण हेतु राज्य स्तर पर लिये जाने वाले निर्णयों के अनुरूप विस्तृत दिशा–निर्देश शीघ्र जारी किये जावेंगे।

इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैः–

1. संविधान की 11वीं एवं 12वीं अनुसूची में वर्णित विषयों से संबंधित विकास कार्यों के प्रस्तावों का क्षेत्र की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए, संकलन वार्षिक योजना 2013–14 के लिये किया जावेगा।
2. ग्राम सभा/वार्ड सभा के आयोजन हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के संबंध में जागरूक किया जावेगा।
3. ग्राम पंचायत/नगर निकायों को वार्षिक योजना 2013–14 के दौरान केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं में उपलब्ध होने वाली राशि का आंकलन, किसी अभिष्ट ग्राम पंचायत/नगर निकाय को विगत वर्ष में प्राप्त हुई राशि में 25 प्रतिशत वृद्वि मानते हुए किया जावेगा।

4. बिन्दु संख्या 3 के अनुसार ग्राम पंचायत/नगर निकाय के लिये आंकलित की गई राशि के विरूद्व प्रथमतः पूर्व में स्वीकृत/निर्माणाधीन कार्यो के पूर्ण कराये जाने हेतु वांछित राशि के प्रस्ताव सम्मिलित किये जावेगे एवं तत्पश्चात् अवशेष राशि के तीन गुणा तक की राशि के नवीन विकास कार्यों के प्रस्ताव लिये जावेगें। ग्राम सभा/वार्ड सभा द्वारा प्रस्तावित कार्यों की प्राथमिकता अनुसार सूची ग्राम सभा/वार्ड सभा के अनुमोदनानुसार ही तैयार की जावेगी। प्रस्तावों का संकलन संलग्न प्रपत्रों में किया जावेगा (प्रपत्र "भाग–1" भौतिक प्रपत्र में वार्ड सभाओं के दौरान प्रस्तावित किये जाने वाले कार्यो/गतिविधियों हेतु, प्रपत्र "भाग–2" वित्तीय प्रपत्र – वार्ड सभाओं में लिये गये प्रस्तावों/गतिविधियों को ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक द्वारा तैयार कर ग्राम सभाओं मे अनुमोदन कराये जाने हेतु उपयोग में लिया जावेगा) प्रपत्र के भाग 2 में प्रपत्र 1 में उल्लेखित कार्यो को ग्राम सभा द्वारा निर्धारित प्राथमिकता अनुसार अंकित किया जावेगा।

5. ग्राम सभा/वार्ड़ सभा द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं महिला वर्ग के हितार्थ विकास कार्यों के प्रस्ताव कम से कम इन वर्गो की जनसंख्या के अनुपात में आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जावेगें। तद्नुसार योजना तैयार करते समय इन वर्गो के लिए पृथक–पृथक उप योजनाऐं तैयार की जावेगी।

6. ग्राम सभा/वार्ड़ सभा के दौरान उपस्थित विभागीय अधिकारियों द्वारा विभागीय मानदंड एवं निर्धारित लक्ष्यों से अवगत कराते हुए, इनके अनुरूप विकास कार्य प्रस्तावित करने हेतु ग्राम सभा/वार्ड़ सभा को जागरूक किया जावेगा। प्रस्तावित विकास कार्यों की अनुमानित लागत राशि भी अधिकारियों द्वारा ग्राम सभा/वार्ड़ सभा को अवगत कराई जावेगी।

7. ग्राम सभा/वार्ड़ सभा के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों को ग्राम सेवक के सहयोग से संलग्न प्रपत्र (प्रत्येक विभाग के लिये पृथक–पृथक) में पूर्ति करते हुए पंचायत समिति को अग्रेषित किया जावेगा।

8. केन्द्र/राज्य की ऐसी योजनाओं में जिनमें ग्राम पंचायतों के साथ–साथ जिला परिषद/पंचायत समिति स्तरीय कार्यों को कराये जाने के लिए राशि उपलब्ध करवायी जा रही हैं तथा विभिन्न सेक्टरों में जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर वृहत एवं दीर्घकालीन अवधि के कार्य करवाये जाने हैं उनसे संबंधित प्रस्ताव योजनाओं में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप क्रमशः जिला परिषद/पंचायत समिति की साधारण सभा आयोजित कर अनुमोदित कराने/प्राथमिकताओं के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावें तथा साधारण सभाओं में विकास कार्यो की अनुमानित लागत राशि भी संबंधित अधिकारियों द्वारा अवगत करवाई जावेंगी।

अतः इस संबंध में अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करने हेतु जिला परिषदों के स्तर से ग्राम सभाओं प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान ग्राम सभाओं का आयोजन कर उक्त प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करावें। ग्राम स्तरीय योजनाओं में प्रस्तावित किये जाने वाले कार्यो के चयन में वार्ड सभाओं का सहयोग प्राप्त करने हेतु वार्ड सभाओं का आयोजन उक्त अभियान से पूर्व के दिवसों में कराया जा सकता है।

जिला स्तर से जारी दिशा निर्देशों के साथ संलग्न प्रपत्र भी प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध करवाया जाना है। वार्ड सभाओं के सफल आयोजन हेतु जन समुदाय एवं अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण का आयोजन एवं स्टेशनरी की समुचित व्यवस्था आवश्यक है इसके साथ ही जिला अधिकारियों द्वारा वांछित भ्रमण भी करने होंगे उक्त सभी कार्यवाही/गतिविधियों को निष्पादित किये जाने हेतु विभाग द्वारा मुख्य आयोजना अधिकारियों को कार्यालय व्यय में पृथक से राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः आवश्यकतानुसार जिला स्तर से विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षणों के आयोजन एवं वार्ड

सभाओं हेतु जारी किये जाने वाले दिशा निर्देश, प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक सामग्री मुद्रित करवाकर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाकर वार्ड सभाओं का सफल आयोजन हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

शहरी क्षेत्र के लिए वार्ड़ सभाएं आयोजित कराने का कार्यक्रम जिला स्तर पर **पदस्थापित जिला परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/नोडल अधिकारी स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना से विचार–विमर्श कर आवश्यक दिशा–निर्देश प्रत्येक शहरी नगरनिकाय** को उपलब्ध करवाये जावेगें ताकि ग्राम सभाओं/वार्ड़ सभाओं के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आगामी वार्षिक जिला योजना 2013–14 का निर्माण निर्धारित समय पर सम्पादित किया जा सकें।

उक्त निर्देशों की शत–प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(सी.एस.राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः–

1. **विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।**
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला प्रमुख, जिला–समस्त।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं उप शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, समस्त संभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद–समस्त को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार ग्राम सभा/वार्ड़ सभाओं के माध्यम से विकास कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु सभी स्तरों पर समन्वय स्थापित कर वांछित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
9. मुख्य आयोजना अधिकारी, आयोजना प्रकोष्ठ–समस्त को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार जिला विकास योजनाओं के निर्माण हेतु सभी स्तरों पर समन्वय स्थापित कर वांछित कार्यवाहीं किया जाना सुनिश्चित करें।

शासन सचिव एवं आयुक्त
पंचायती राज

भाग– 1 भौतिक प्रपत्र

ग्राम योजना (ग्राम/ढाणीं का नाम) – ....सेक्टर/विभाग..

ग्राम पंचायत .... पंचायत समिति.................................... जिला परिषद..

गाँव/ढाणी के लोगों की मांग के [illegible] जावेगा

प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों का विवरण								कार्य विवरण		कृपया √ करें						
क.सं.	कार्य / गतिविधि का नाम	स्थान/कहाँ से कहाँ तक	भौतिक लक्ष्य	ईकाई (संख्या, मी./कि. मी.,आदि)	लाभान्वित वर्ग (SC/ST/Gen.)	कार्य केवल महिला उपयोगी है अथवा नहीं	संभावित लाभान्वितों की संख्या	*प्रस्तावित कार्य की अनुमानित लागत (राशि रूपयों में)*	*कार्य पूर्ण कराने की अवधि (माह में)*	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	प्राथमिकता	ग्राम स्तर पर कार्य से संबंधित निगरानी समिति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
6																
कुल योग																

1. ग्राम सेवक द्वारा राजस्व गाँव की सेक्टर/विभागवार योजना का निर्माण स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों, विभागीय कर्मचारियों, सेवानिवृत कार्मिको आदि के सहयोग से आपसी विचार–विमर्श कर, किया जावें।
2. प्रपत्र के भाग -1 को वार्ड/ढाणीं वार महिलाओं, वृद्वजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवारों के साथ अलग–अलग चर्चा कर उनसे प्राप्त सुझावों को योजना में जोड़कर प्रपत्र-2 तैयार किया जावेगा।
3. प्रपत्र के भाग–2 को राजस्व गाँव की संयुक्त वार्ड सभा सरपंच की अध्यक्षता मे आयोजित कर प्रस्तुत किया जावें एवं विस्तृत चर्चा के पश्चात् प्रदत्त सुझावों एवं परिवर्तनों को सम्मिलित कर राजस्व गाँव की योजना अनुमोदित कराई जावें। वार्ड सभा में संबंधित वार्ड पंच की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
4. ग्राम पचायत स्तर पर उक्त प्रपत्र प्रत्येक सेक्टर/विभाग के लिए पृथक–पृथक भरा जावेगा।
5. सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम सभा आयोजित कर राजस्व/ढाणीं की प्रस्तावित योजनाओं को संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों से विचार–विमर्श कर अनुमोदित की जावेगी। ग्राम सभा में संबंधित ग्राम सेवक के साथ–साथ सभी विभागों के स्थानीय कर्मचारी, ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधिक से अधिक स्थानीय लोगों द्वारा भाग लिया जावें।
6. ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत स्तरीय योजना को पंचायत समिति को प्रेषित किया जावेगा।

भाग 2 – वित्तीय प्रपत्र

ग्राम योजना (ग्राम/ढाणीं का नाम) – .... सेक्टर/विभाग..

ग्राम पंचायत ...., पंचायत समिति..................................., जिला परिषद..,

ग्राम पंचायत स्तर पर प्रपत्र के भाग 1 के आधार पर संबंधित विभाग के [illegible] एवं पदेन सचिव द्वारा भरा जायेगा

प्रस्तावित कार्य/गतिविधियों का विवरण				प्रस्तावित कार्य के अनुमानित वित्तीय स्रोत												कार्यकारी विभाग/एजेन्सी का विवरण	कार्य से संबंधित सेक्टर/विभाग का नाम	अनुमानित मानव दिवस सृजन				
क.सं.	कार्य /गतिविधि का नाम	कार्य की प्रकृति (नवीन/कमिटेड)	ग्राम पंचायत द्वारा आंकी गई कार्य की लागत (रु.में)	योजना/कार्यक्रम का नाम		निजी आय राशि (रूपयों में)	जन सहयोग राशि (रूपयों में)				कुल राशि (रूपयों में)											
				नाम	राशि		श्रम	सामग्री	धनराशि	योग	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17			अजा.	अजजा	सामान्य	कुल	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
योग																						

1 प्रपत्र भाग- 2 के कॉलम संख्या (12–16 तक) मे कॉलम संख्या 6,7 एवम् 11 का योग दर्शाकर वर्षवार प्रस्तावित राशि अंकित की जावेंगी।

जिला एक दृष्टि में

तालिका संख्या–1

क्र स.	विशेषता	इकाई	मान
1	भौगोलिक क्षेत्र	वर्ग कि.मी.	
2	कुल जनसंख्या	लाख	
3	उप–खण्ड	संख्या	
4	ब्लॉक (पंचायत समिति)	संख्या	
5	सर्किल (आई.एल.आर) भू–अभिलेख वृत्त	संख्या	
6	राजस्व ग्राम	संख्या	
7	ग्राम पंचायत	संख्या	
8	पटवार हलका	संख्या	
9	पंचायत समिति	संख्या	
10	नगर निकाय (नगरपालिका / परिषद / नगरनिगम)	संख्या	
11	सडक नेटवर्क की लम्बाई	कि.मी.	
12	रेल नेटवर्क की लम्बाई	कि.मी.	
13	नदियां	संख्या	
14	तालाब / टांका / पोखर	संख्या	

भूमि उपयोग का वर्गीकरण (एल.आर.) 2011

क्र.स.	**विशेषता**	**इकाई**	**मान**
1	कुल भूमि	हैक्टेयर	
2	कुल कृषि भूमि	हैक्टेयर	
3	सिंचित भूमि	हैक्टेयर	
4	वर्षापोषित कृषि	हैक्टेयर	
5	परती भूमि / कृषि के अनुपयुक्त भूमि	हैक्टेयर	
6	व्यावसायिक / औद्योगिक फसलों के लिए प्रयुक्त भूमि	हैक्टेयर	
7	चारागाह भूमि	हैक्टेयर	
8	वन	वर्ग कि.मी.	
अ	जिले में पंजीकृत साझावन प्रबंध एवं सुरक्षा समितियां	संख्या	
ब	जिलें में पंजीकृत साझावन प्रबंध एवं सुरक्षा समितियों के अंतर्गत वन भूमि	हैक्टेयर	
9	वृहद और मध्यम बांध	संख्या	
10	औधोगिक इकाईयां	संख्या	
	लघु	संख्या	
	मध्यम	संख्या	
	वृहद	संख्या	

तालिका संख्या–3 जनसांख्यिकी अनुपात / संयोजन 2001 / 2011

क्र स.	आयु समूह (वर्ष)	पुरूष	महिला	कुल	लिंग अनुपात
1	0 से 3				
2	4 से 6				
3	7 से 18				
4	19 से 45				
5	46 से 60				
6	61 से ऊपर				
7	सभी आयु समूह				

तालिका संख्या–4 जनसांख्यिकी विशेषताएं (2011 के अनुसार)

क्र.स.	पैरामीटर / संकेतक	पुरूष	महिला	औसत
1	प्रजनन दर			
2	मृत्यु दर			
3	जीवन प्रत्याशा दर			
4	विवाह के समय आयु			
5	परिवार नियोजन कवरेज (प्रतिशत)			
6	परिवारों की कुल संख्या			

तालिका संख्या–5 जातिवार / वर्गवार जनसंख्या / 2001 / 2011

क्र.स.	सामाजिक समूह	पुरूष	महिला	कुल	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति				
2	अनुसूचित जनजाति				
3	अन्य पिछड़ा वर्ग				
4	घुमन्तू जनसंख्या				
5	हिन्दू				
6	मुसलमान				
7	ईसाई				
8	बौद्व				
9	जैन				
10	सिक्ख				
11	अन्य				

तालिका संख्या–6 सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और सेवाएं

क्र.स.	बुनियादी ढांचा	उपलब्धता मानक	वास्तविक स्थिति	कमी
1	पक्की सड़क	प्रत्येक राजस्व ग्राम		
2	बस सेवा	प्रत्येक राजस्व ग्राम		
3	विद्युत कनेक्शन	प्रत्येक राजस्व ग्राम		
4	पाइप्ड जल	प्रत्येक राजस्व ग्राम		
5	जल निकास प्रणाली	प्रत्येक राजस्व ग्राम		
6	ग्राम पंचायत भवन	प्रत्येक ग्राम पंचायत		
7	राशन की दुकान	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
8	आंगनबाड़ी	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
9	प्राथमिक स्कूल	प्रत्येक राजस्व ग्राम		
10	माध्यमिक स्कूल	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
11	कॉलेज (महाविद्यालय)	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
12	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
13	उप स्वास्थ्य–केन्द्र	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
14	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
15	पशु चिकित्सालय	पशुओं की प्रति ईकाई		
16	पुलिस थाना	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
17	डाकखाना (पोस्ट ऑफिस)	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
18	बैंक	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
19	सार्वजनिक पुस्तकालय	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
20	कृषि विपणन केन्द्र	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
21	वृहद सिंचाई परियोजनाएं	स्थानीय स्थितियों के अनुसार		
22	मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	स्थानीय स्थितियों के अनुसार		

23	लघु सिंचाई परियोजनाएं	स्थानीय स्थितियों के अनुसार		
24	पूर्णतः विकसित वाटरशेड	स्थानीय स्थितियों के अनुसार		

तालिका संख्या–7 बुनियादी ढांचा और सेवा गुणवत्ताः आंगनवाड़ी/वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में (1 अप्रेल तक की स्थिति)

क्षेत्रः पोषण (आईसीडीएसी) सेवा आंगनवाड़ी				
सुविधा	**मानक**	**मानक के अनुसार आवश्यकता**	**वास्तविक स्थिति**	**अन्तर**
आंगनबाड़ी का प्रावधान	प्रत्येक 1500 की जनसंख्या पर			
अवस्थिति	गंव से 1 कि.मी. के भीतर			
आंगनवाड़ी परिसर	स्वंय के पक्के भवन			
मानव संसाधन (AWW और सहायक)	प्रत्येक आंगनवाड़ी में 1 AWW और 1 सहायक			
शौचालय सुविधा	अटैच्ड शौचालय			
जल सुविधा	पेयजल कनेक्शन			
हाथ धोने का स्थान	पर्याप्त जल और साबुन सहित हाथ धोने के लिए अलग स्थान			
उपकरण	वजन मापने की मशीन, खिलौने, शैक्षिक उपस्कर फ्लैट, कटोरियां, नैपकिन, कंघा एवं नेल कटर			

तालिका संख्या–8 बुनियादी ढांचा और सेवा गुणवत्ताः स्कूल/ वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में (1 अप्रेल तक की स्थिति)

क्षेत्रः शिक्षा सेवाः प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल					
सेवा	**सुविधा**	**मानक**	**मानक के अनुसार आवश्यकता**	**वास्तविक स्थिति**	**अन्तर**
प्राथमिक स्कूल	प्राथमिक स्कूलों का प्रावधान	प्रत्येक राजस्व ग्राम/बस्ती			
	अवस्थिति	गांव से 1 कि.मी. दूर			
	स्कूल परिसर	पक्के भवन			
	शौचालय सुविधा	1 शौचालय इकाई जिसमें 2 लैट्रिन और 3 यूरीनल्स हो। बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक से शौचालय इकाई			
	कक्षाएं	प्रत्येक 40 छात्रों पर एक कक्षा			
	स्टाफ	प्रत्येक 40 छात्रों पर एक अध्यापक			
	अन्य सुविधाएं	खेल का मैदान			
माध्यमिक स्कूल	माध्यमिक स्कूलों का प्रावधान	स्थानीय स्थितियों के अनुसार			
	स्कूल परिसर	स्वंय के पक्के भवन			
	शौचालय सुविधा	1 शौचालय इकाई जिसमें 2			

		लैट्रिन और 3 यूरीनल्स हो। बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक से शौचालय इकाई			
	कक्षाएं	प्रत्येक 40 छात्रों पर एक कक्षा			
	स्टाफ	प्रत्येक 40 छात्रों पर एक अध्यापक			
	अन्य सुविधाएं	अपेक्षित मानक की प्रयोगशालाएं और खेल सुविधाओं तथा जिम्नेजियम सहित एक खेल का मैदान			
उच्च माध्यमिक स्कूल	उच्च माध्यमिक स्कूलों का प्रावधान	स्थानीय स्थितियों के अनुसार			
	स्कूल परिसर	स्वंय के पक्के भवन			
	शौचालय सुविधा	1 शौचालय इकाई जिसमें 2 लैट्रिन और 3 यूरीनल्स हो। बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक से शौचालय इकाई			
	कक्षाए	प्रत्येक 40 छात्रों पर एक कक्षा			
	स्टाफ	प्रत्येक 40 छात्रों पर एक अध्यापक			
	अन्य सुविधाएं	अपेक्षित मानक की प्रयोगशालाएं और खेल सुविधाओं तथा जिम्नेजियम सहित एक खेल का मैदान			

तालिका संख्या–9 बुनियादी ढांचा और सेवा गुणवत्ताः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और ग्रामीण अस्पताल

क्षेत्रः स्वास्थ्य सेवाः उप केन्द्र, पी.एच.सी. तथा ग्रामीण अस्पताल					
सेवा	**सुविधा**	**मानक**	**मानक के अनुसार आवश्यकता**	**वास्तविक स्थिति**	**अन्तर**
उप–केन्द्र	उप–केन्द्र का प्रावधान	प्रत्येक 5000 की जनसंख्या			
	मानव संसाधन	1. ए.एन.एम. (1) 2. एमपीडब्ल्यू (2) 3. कार्यकर्ता (3)			
	उपकरण	मेडिकल किट, ओआरएस, डिलीवरी किट और मेज, बीपी, उपकरण और स्टेथोस्केप			
	परिसर	स्वंय का पक्के भवन			
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	पी.एच.सी. का प्रावधान	प्रत्येक 30,000 की जनसंख्या पर			
	मानव संसाधन	1 कंपाउडंर, 2 स्वास्थ्य सहायक, 1 महिला सहायक, 1 लिपिक, 1 ड्राइवर और 5 चपरासी			

	उपकरण	ऑपरेशन थिएटर और संबंधित उपस्कर, 1 एम्बुलेंस, दवाओं का पर्याप्त भंडार			
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रावधान	प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर			
	मानव संसाधन	3 चिकित्सा अधिकारी, 1 चिकित्सा अधीक्षक, 4 स्टाफ नर्स, 1 फार्मासिस्ट, 1 क.लि. और 1 ड्राइवर तथा अन्य स्टाफ			
	उपकरण	प्रयोगशाला, बाह्य रोग विभाग, अंतःरोगी विभाग, ऑपरेशन थिएटर एम्बुलेंस और दवाओं का पर्याप्त भंडार			
	उपकरण	ऑपरेशन थिएटर और संबंधित उपस्कर, 1 एम्बुलेंस, दवाओं का पर्याप्त भंडार			

तालिका संख्या–10 दस्तावेज संबंधी आवश्यक सेवाएं

क्र.स.	सेवा	मानक	स्थिति	कमी
1	बी.पी.एल. कार्ड	पात्र परिवार		
2	राशन कार्ड	पात्र परिवार		
3	मतदाता पहचान–पत्र	पात्र परिवार		
4	ईजीएस कार्ड/मनरेगा जॉब कार्ड	पात्र परिवार		

तालिका –11 सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषताएं (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 1 अप्रेल की स्थिति)

श्रेणी	पैरामीटर/संकेतक	पूर्ण संख्या		प्रतिशत/दर	
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
जन्म–पूर्व अवस्था	कुल गर्भवती महिलाएं				
	रक्ताल्पता/अपर्याप्त बीएमआई वाली महिलाएं				
	टीकाकरण प्रदत्त गर्भवती महिलाएं				
	संचारी रोगों वाली गर्भवती महिलाएं (आर.टी.आई. एवं एस.टी. डी.)				
	प्रसव पूर्व पूर्ण जॉच कराने वाली महिलाएं				
	गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं के मामले				
	संस्थानगत प्रसव				
	घर पर प्रसव				
	प्रसव पश्चात पूर्ण जॉच कराने वाली महिलाएं				
नवजात अवस्था	मातृ–मृत्यु				
	भ्रूण गर्भपात				
	मृत शिशु जन्म				

	जन्म के समय 2500 ग्राम से कम वनज वाले शिशु					
	जन्म के समय की कमियों / जन्मजात विकलांगता वाले शिशु					
	संचारी रोगों के साथ जन्म लेने वाले शिशु					
शैशवास्था और प्रारंभिक बचपन	नवजात मृत्यु दर					
	कार्यक्रम के अनुसार संपूर्ण टीकाकरण					
	पर्याप्त स्तनपान पोषण संबंधी स्थिति					
		सामान्य				
		ग्रेड–I				
		ग्रेड–II				
		ग्रेड–III				
	ग्रेड– IV					
	शिशु / बच्चों की मृत्यु दर					
सामान्य जनसंख्या	आंगनबाडी में नामांकन					
	बीमारी की व्यापकता	मलेरिया				
		तपेदिक				
		एचआईवी एड्स				
		अंधता				
	अन्य पुरानी / गंभीर बीमारियां					
	मृत्युदर					
	स्वास्थ्य बीमा आवरण					
	महिला नसबंदी ऑपरेशन					
	पुरूष नसबंदी ऑपरेशन					

तालिका संख्या–12 साक्षरता और शिक्षा (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 1 अप्रेल तक की स्थिति)

क्र.स.	पैरामीटर / संकेतक	पुरूष	महिला	कुल	प्रतिशत
1	साक्षरता				
2	पूर्व–प्राथमिक स्कूल में नामांकन (03 से 06 वर्ष)				
3	प्राथमिक स्कूल में नामांकन (06 से 14 वर्ष)				
4	मध्याह्न भोजन की कवरेज				
5	माध्यमिक स्कूल में नामांकन				
6	उच्च माध्यमिक स्कूल में नामांकन				
7	कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में नामांकित				
8	व्यावसायिक / तकनीकी संस्थानों में नामांकन				
9	प्रौढ़ शिक्षा के लिए नामांकन				

तालिका संख्या–13 रोजगार और स्व–रोजगार (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 1 अप्रेल की स्थिति)

क्र.स.	पैरामीटर / संकेतक	पुरूष	महिला	कुल	प्रतिशत
1	खेत संबंधी कियाकलापों में स्वरोजगार				
2	गैर–खेत संबंधी कियाकलापों में स्व–रोजगार				
3	संगठित क्षेत्र में रोजगार				
4	असंगठित क्षेत्र में रोजगार				
5	ईजीएस के अन्तर्गत नामांकित वेतन श्रमिक				
6	एम्लाएमेंट एक्सचेंज में पंजीकृत				
7	कुल बेरोजगार				
8	शिक्षित बेरोजगार				
9	कुल बेरोजगार				
10	बाल श्रमिक				

तालिका संख्या–14 कृषि और संबंधित खेत क्षेत्र क्रियाकलाप

क्र.स.	पैरामीटर / संकेतक	इकाई	स्थिति
1	कुल कृषि भूमि (बागवानी सहित)	हैक्टेयर	
2	सिंचित कृषि	हैक्टेयर	
3	गैर– सिंचित कृषि	हैक्टेयर	
4	परती भूमि / कृषि के अनुपयुक्त भूमि	हैक्टेयर	
5	औसत जोतधारक	हैक्टेयर	
6	कृषि पर निर्भर भूमिहीन परिवार		
7	कुल डेयरी पशुधन	संख्या	
8	चारागाह भूमि	हैक्टेयर	
9	पंजीकृत डेयरियों की कुल संख्या	संख्या	
10	पंजीकृत मुर्गीपालन / सुअर पालन / बकरी पालन फार्मों की कुल संख्या	संख्या	
11	पंजीकृत मत्स्य पालन / मत्स्य पालन से जुड़े परिवार / मत्स्य पालन से जुड़ी फार्मों की कुल संख्या	संख्या	

तालिका संख्या–15 उद्योग और वाणिज्य

क्र.स.	पैरामीटर / संकेतक	इकाई	स्थिति
1	उद्योगों के तहत कुल भूमि	हैक्टेयर	
2	प्राथमिक क्षेत्र उद्योगों की कुल संख्या	संख्या	
3	द्वितीयक क्षेत्र उद्योगों की कुल संख्या	संख्या	
4	तृतीयक क्षेत्र उद्योगों की कुल संख्या	संख्या	
5	राज्य के स्वामित्व वाले औद्योगिक क्षेत्र	संख्या	
6	विशेष क्षेत्र के उद्योगों की प्रतिशतता	संख्या	
7	संगठित क्षेत्र के उद्योगों की प्रतिशतता	:	
8	असंगठित क्षेत्र के उद्योगों की प्रतिशतता	:	
9	प्रदूषक / जोखिमपूर्ण उद्योगों की प्रतिशतता	:	
10	प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पाद	?	
11	उद्योग से प्रति व्यक्ति आय	रूपए	

तालिका संख्या–16 घरेलू आय और सुविधाएं

क्र.स.	सेवा	इकाई/मानक	स्थिति	कमी
1	औसत पारिवारिक आय	रूपए		
2	औसत पारिवारिक व्यय	रूपए		
3	औसत पारिवारिक ऋण	रूपए		
4	पक्के घरों में रहने वाले परिवार	प्रत्येक परिवार		
5	विद्युत आपूर्ति वाले घर	किवा/प्रति व्यक्ति/प्रति दिन		
6	पेयजल आपूर्ति वाले घर	लीटर/प्रति व्यक्ति/प्रति दिन		
7	संबद्व (अटैच्ड) शौचालयों वाले घर	प्रत्येक घर		
8	मिट्टी के तेल की आपूर्ति वाले घर	लीटर/प्रति व्यक्ति/प्रति दिन		
9	कुकिंग गैस कनेक्शन वाले घर	सिंगल/डबल सिलेंडर		

पंचायत समिति एक दृष्टि में

तालिका संख्या–1

क्र.स.	विशेषता	इकाई	मान
1	भौगोलिक क्षेत्र	वर्ग कि.मी.	
2	कुल जनसंख्या	लाख	
3	कुल ग्राम पंचायत	संख्या	
4	सर्किल (आई.एल.आर) भू–अभिलेख वृत्त	संख्या	
5	राजस्व ग्राम	संख्या	
6	नगर निकाय (नगरपालिका / परिषद / नगरनिगम)	संख्या	
7	पटवार हलका	संख्या	
8	सड़क नेटवर्क की लम्बाई	कि.मी.	
9	रेल नेटवर्क की लम्बाई	कि.मी.	
10	नदियां	संख्या	
11	तालाब / टांका / पोखर	संख्या	

भूमि उपयोग का वर्गीकरण (एल.आर.) 2011

क्र.स.	विशेषता	इकाई	मान
1	कुल भूमि	हैक्टेयर	
2	कुल कृषि भूमि (बागवानी सहित)	हैक्टेयर	
3	सिंचित भूमि	हैक्टेयर	
4	वर्षापोषित कृषि	हैक्टेयर	
5	परती / कृषि भूमि के अनुपयुक्त भूमि	हैक्टेयर	
6	व्यावसायिक / औद्योगिक फसलों के लिए प्रयुक्त भूमि	हैक्टेयर	
7	वन	वर्ग कि.मी.	
अ	जिले में पंजीकृत साझावन प्रबंध एवं सुरक्षा समितियां	संख्या	
ब	जिलें में पंजीकृत साझावन प्रबंध एवं सुरक्षा समितियों के अंतर्गत वन भूमि	हैक्टेयर	
8	चारागाह भूमि	हैक्टेयर	
9	वृहद और मध्यम बांध	संख्या	
10	उद्योगिक इकाईयां	संख्या	
	लघु	संख्या	
	मध्यम	संख्या	
	वृहद	संख्या	

तालिका संख्या–3 जनसांख्यिकी का अनुपात / संयोजन 2001 / 2011

क्र.स.	आयु समूह (वर्ष)	पुरूष	महिला	कुल	लिंग अनुपात
1	0 से 3				
2	4 से 6				
3	7 से 18				
4	19 से 45				
5	46 से 60				
6	61 से ऊपर				
7	सभी आयु समूह				

तालिका संख्या–4 जनसांख्यिकी विशेषताएं (2011 के अनुसार)

क्र.स.	पैरामीटर / संकेतक	पुरूष	महिला	औसत
1	जन्म दर			
2	मृत्यु दर			
3	विवाह के समय आयु			
4	परिवार नियोजन कवरेज (प्रतिशत)			
5	परिवारों की कुल संख्या			

तालिका संख्या–5 जातिवार / वर्गवार जनसंख्या / 2001 / 2011

क्र.स.	सामाजिक समूह	पुरूष	महिला	कुल	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति				
2	अनुसूचित जनजाति				
3	अन्य पिछड़ा वर्ग				
4	घुमन्तू जनसंख्या				
5	हिन्दू				
6	मुसलमान				
7	ईसाई				
8	बौद्व				
9	जैन				
10	सिक्ख				
11	अन्य				

तालिका संख्या–6 सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और सेवाएं

क्र.स.	बुनियादी ढांचा	उपलब्धता मानक	वास्तविक स्थिति	कमी
1	पक्की सड़क	प्रत्येक राजस्व ग्राम		
2	बस सेवा	प्रत्येक राजस्व ग्राम		
3	विद्युत कनेक्शन	प्रत्येक राजस्व ग्राम		
4	पाइप्ड जल	प्रत्येक राजस्व ग्राम		
5	जल निकास प्रणाली	प्रत्येक राजस्व ग्राम		
6	ग्राम पंचायत भवन	प्रत्येक ग्राम पंचायत		
7	राशन की दुकान	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
8	आंगनबाड़ी	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
9	प्राथमिक स्कूल	प्रत्येक राजस्व ग्राम		
10	माध्यमिक स्कूल	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
11	कॉलेज (महाविद्यालय)	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
12	उप स्वास्थ्य–केन्द्र	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
13	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
14	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
15	पशु चिकित्सालय	पशुओं की प्रति ईकाई		
16	पुलिस थाना	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
17	डाकखाना (पोस्ट ऑफिस)	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
18	बैंक	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
19	सार्वजनिक पुस्तकालय	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
20	कृषि विपणन केन्द्र	जनसंख्या की प्रति ईकाई		
21	वृहद सिंचाई परियोजनाएं	स्थानीय स्थितियों के अनुसार		
22	मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	स्थानीय स्थितियों के अनुसार		

23	लघु सिंचाई परियोजनाएं	स्थानीय स्थितियों के अनुसार		
24	पूर्णतः विकसित वाटरशेड	स्थानीय स्थितियों के अनुसार		

तालिका संख्या–7 बुनियादी ढांचा और सेवा गुणवत्ताः आंगनवाड़ी/वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में (1 अप्रेल तक की स्थिति)

क्षेत्रः पोषण (आईसीडीएसी) सेवा आंगनवाड़ी				
सुविधा	**मानक**	**मानक के अनुसार आवश्यकता**	**वास्तविक स्थिति**	**अन्तर**
आंगनबाड़ी का प्रावधान	प्रत्येक 1500 की जनसंख्या पर			
अवस्थिति	गांव से 1 कि.मी. के भीतर			
आंगनवाड़ी परिसर	स्वंय के पक्के भवन			
मानव संसाधन (AWW और सहायक)	प्रत्येक आंगनवाड़ी में 1 AWW और 1 सहायक			
शौचालय सुविधा	अटैच्ड शौचालय			
जल सुविधा	पेयजल कनेक्शन			
हाथ धोने का स्थान	पर्याप्त जल और साबुन सहित हाथ धोने के लिए अलग स्थान			
उपकरण	वजन मापने की मशीन, खिलौने, शैक्षिक उपस्कर फ्लैट, कटोरियां, नैपकिन, कंघा एवं नेल कटर			

तालिका संख्या–8 बुनियादी ढांचा और सेवा गुणवत्ताः स्कूल/ वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में (1 अप्रेल तक की स्थिति)

क्षेत्रः शिक्षा

सेवाः प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल

सेवा	**सुविधा**	**मानक**	**मानक के अनुसार आवश्यकता**	**वास्तविक स्थिति**	**अन्तर**
प्राथमिक स्कूल	प्राथमिक स्कूलों का प्रावधान	प्रत्येक राजस्व ग्राम/बस्ती			
	अवस्थिति	गांव से 1 कि.मी. दूर			
	स्कूल परिसर	पक्के भवन			
	शौचालय सुविधा	1 शौचालय इकाई जिसमें 2 लैट्रिन और 3 यूरीनल्स हो। बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक से शौचालय इकाई			
	कक्षाएं	प्रत्येक 40 छात्रों पर एक कक्षा			
	स्टाफ	प्रत्येक 40 छात्रों पर एक अध्यापक			
	अन्य सुविधाएं	खेल का मैदान			
माध्यमिक स्कूल	माध्यमिक स्कूलों का प्रावधान	स्थानीय स्थितियों के अनुसार			
	स्कूल परिसर	स्वंय के पक्के भवन			
	शौचालय सुविधा	1 शौचालय इकाई जिसमें 2 लैट्रिन और 3 यूरीनल्स हो।			